



# Kids Club School

CBSE Delhi Affiliated Senior Secondary English Medium Public School

Building No. 1, Plot No. B-1-B, B-1-D, B-1-D-1 & B-1-F, Sumer Nagar Vistar,  
Major I.J. Sinha Marg, New Sanganer Road, Mansarover, Jaipur -302 020 (Raj.) INDIA

Ref. : To,

Date : .....12/2021

The Chief Fire Safety Officer,

~~Bani Park~~, Vishwa Karma Industrial area  
Nagar Nigam, ~~Jaipur~~, Greater Jaipur  
Jaipur

**Subject:- Annual Renewal of Permanent Fire Safety Certificate of Kids Club School.**

Dear Sir,

Kindly refer to your Letter No. F 9/20/5094 dated 29.12.2020 regarding Annual Renewal of Permanent Fire Safety Certificate of Kids Club School, which is renewed upto 18.12.2021

You are hereby requested to renew it further. It is further to state that all taxes of Nagar Nigam are paid and all equipments are refilled and they are well maintained in school campus. All the tax receipts and bills are attached herewith.


Kindly take necessary action to issue Annual Renewal Certificate.

Thanking You

Phone No. :- 9425012920, 9549841880

404/409  
Lal Kothi

o/c



Dr. T.C. Pathak  
Chairman  
Kids Club School  
Jaipur



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र नगर निगम ग्रेटर जयपुर

क्रमांक: एफ.9( )आ.फा./ज.न.नि./20/5094 दिनांक 29/12/2020

डॉ. टी.सी. पाठक,  
पुत्र स्वर्गीय श्री चितामणी पाठक,  
निवासी किड्स क्लब स्कूल कैम्पस,  
न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर।

विषय:- अग्निशमन यंत्र/उपकरण का निरीक्षण एव अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्थल भूखण्ड संख्या बी 1 बी बी-1 डी एण्ड बी-1 एक सुमेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर में निर्मित किड्स क्लब स्कूल का वार्षिक निरीक्षण किये जाने हेतु स्थल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण श्री देवाग यादव सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण के दौरान आवेदित स्थल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर उपायोग नहीं किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए पत्रांक एफ.9 ( )आ.फा./न.नि.ज/15/200 दिनांक 11.05.2015 में अंकित शर्तें यथावत रहेगी।

यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गए अभिषंशा पत्र की तिथि से दिनांक 18.12.2021 तक नवीनीकृत किया जाता है।

29/12/2020  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
जयपुर निगम ग्रेटर जयपुर  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
जयपुर निगम, जयपुर (ग्रेटर)

Telabe